न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : [illegible] मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 172/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
चूनाराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी संतोषनाथपुरा दासानिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1– दुर्गाराम पुत्र भीयाराम 2– सेवाराम पुत्र रामाराम 3– रामाराम पुत्र सिमरथराम 4– हुकमाराम पुत्र भीयाराम जातियान जाट निवासीगण संतोषनाथपुरा दासानिया, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ केम्प न्याय आपके द्वार हिम्मतनगर मे राजस्व प्रकरण संख्या 24/2015 अनवान रामाराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार मे दिनांक 12–6–2015 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री अनोप सिह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 24–6–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 3 व 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उसके खातेदारी की भूमि मौजा संतोषनाथपुरा के खसरा नंबर 96 रकबा 35.07 बीघा तथा खसरा नंबर 84/7 रकबा 35.14 बीघा भूमि मे प्रार्थीगण के पडौसी खेतो की सीमा के पक्के मुटाम मौके पर नही होने से सभी को अपने खेतो की सीमा का सही ज्ञान नही होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है इसलिए उक्त खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–6–2015 के द्वारा उक्त भूमि मे तहसीलदार शेरगढ को 500/– शुल्क पर पुलिस ईमदाद के साथ पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित कर दिये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान को सुना गया । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस मे दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि मौजा संतोषनाथपुरा पटवार क्षेत्र दासानिया के खसरा नंबर 60 रकबा 0.04 बिस्वा खसरा नंबर 61 रकबा 12.09 बीघा, खसरा नंबर 61 रकबा 12.09 बीघा तथा खसरा नंबर 62 रकबा 0.05 बिस्वा, खसरा नंबर 58 रकबा 0.07 बिस्वा तथा खसरा नंबर 59 रकबा 12.19 बीघा भूमि के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के न्यायालय मे विधिवत पत्थरगढी करने का आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 20–9–13 को

उक्त भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्राप्त किये तथा उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार शेरगढ ने पत्थरगढी कर तद्नुसार नक्शे मे तरमीम कर दी तथा अपीलांट ने अपनी तरमीमसुदा उक्त खातेदारी भूमि की तारबंदी करवा दी जिसकी जानकारी रेस्पो0 संख्या 3 व 4 को होते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे अपने खातेदारी की भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट को पक्षकार नही बनाया जबकि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 व 4 सेढा पडोसी है इसलिए पडौसी खातेदार को सुने बिना पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत नही की तथा न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 20–9–13 के तथ्य को भी प्रकट नही किया जबकि अपीलांट के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के संबंध मे पारित निर्णय को अब तक चुनौती नही दी गई है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी होकर मौके पर तारबंदी की हुई है तथा किसी प्रकार का कोई सीमा संबंधी विवाद नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना बाले–बाले अपीलाधीन निर्णय हासिल किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पत्थरगढी के आवेदन पत्र मे अपीलांट को पक्षकार नही बनाये जाने से अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हुआ इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व मे जांच के स्पष्ट प्रावधान है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इन प्रावधानो की पालना मे बिना कोई जांच करवाये ही उनके समक्ष रेस्पो0 संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को केम्प मे स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–6–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि हमने हमारे खातेदारी की भूमि के सीमा चिन्हो से नाम कर मौके पर पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा कथन किया कि प्रत्येक खातेदार को अपने खातेदारी की भूमि की सीमा का ज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकार है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारित

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 व 4 रामाराम पुत्र सिमरथाराम तथा हुकमाराम पुत्र भीयाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12--6--2015 आदि का अवलोकन किया ।

अपीलांट के खातेदारी की भूमि मौजा संतोषनाथपुरा पटवार क्षेत्र दासानिया के खसरा नंबर 60 रकबा 0.04 बिस्वा, खसरा नंबर 61 रकबा 12.09 बीघा, खसरा नंबर 61 रकबा 12.09 बीघा तथा खसरा नंबर 62 रकबा 0.05 बिस्वा, खसरा नंबर 58 रकबा 0.07 बिस्वा तथा खसरा नंबर 59 रकबा 12.19 बीघा भूमि है तथा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की खातेदारी की भूमि मौजा संतोषनाथपुरा के खसरा नंबर 96 तथा खसरा नंबर 84/7 जो कि अपीलांट के खातेदारी की भूमि से लगती हुई होना पत्रावली के सलग्न प्रस्तुत नक्शे से प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे केवल राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ को ही पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि सीमा का सही ज्ञान नही होने से पडौसी खातेदारो से सीमा को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है, तो ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व सीमा के विवाद के निबटारा के लिए पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर उनको सुनना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बिना जांच एवं पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाकर उनको सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–6–2015 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट, रेस्पो0गण एवं अपीलाधीन भूमि से लगते अन्य पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौके की जांच करवाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 24–6–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर